

न्यायालय कलेक्टर, जिला विदिशा (मध्यप्रदेश)

(1)

प्र.क्र. 0004/अ-20(3)/2022-23

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग
विदिशा

आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन, (राजस्व विभाग)

अनावेदक

:: आदेश ::

(दिनांक 11/11/2022 को पारित)



प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग विदिशा द्वारा पत्र क्र. 1549/त.शा./22-23 दिनांक 20.04.2022 व पत्र क्र. 1683/त.शा./मार्ग/22-23 दिनांक 28.04.2022 के संलग्न ऑनलाईन आवेदन क्र. 0227080604069-APP-13697348 दिनांक 27.04.2022 प्रस्तुत कर लटेरी गुंडेला नजीराबाद मार्ग का निर्माण में 8.27 है. वन भूमि प्राभावित होने उसके स्थान पर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को समतुल्य गैर वनभूमि हस्तांतरित किये जाने हेतु तहसील सिरोंज ग्राम जगधर स्थिति भूमि सर्वे क्र.69/1/15 रकबा 10.448 है. नोईयत चारागाह शासकीय में से 8.27 है. भूमि वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित किये जाने का निवेदन किया गया जिस पर अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज को विधिवत जाँच कार्यवाही हेतु प्रकरण अंतरित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज द्वारा प्रकरण में आवश्यक जाँच कार्यवाही अतिरिक्त तहसीलदार म.4 सिरोंज से कराई जाकर प्रकरण इस न्यायालय को उपलब्ध कराया गया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-

अतिरिक्त तहसीलदार मं.4 सिरोंज द्वारा पंजीबद्ध प्र.क्र. 0001/अ-19(3)/2021-22 अनुसार वन विभाग के कर्मचारी/हल्का पटवारी द्वारा संयुक्त मौका जाँच की गई जिसमें ग्राम जगधर स्थित भूमि सर्वे क्र. 69/1/15 रकबा 10.448 है. नोईयत चरनोई में से 8.27 है. भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटन किया जाना उचित होना लेखित किया गया। नायब तहसीलदार सिरोंज एवं हल्का पटवारी द्वारा संयुक्त जाँच रिपोर्ट दिनांक 09.11.2022 से ग्राम की भौगोलिक क्षेत्रफल का रकबा 390.496 है. होना य सुरक्षित चरनोई रकबा 2 प्रतिशत के मान से 17.972 है. है जो 2 प्रतिशत के मान से अधिक रकबा होना उल्लेखित कर रिपोर्ट मय अक्स, खसरा, पंचनामा प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में दिनांक 25.03.2022 को इशतहार का प्रकाशन कराया गया जिसमें नियत दिनांक 04.04.2022 तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। प्रकरण में सचिव ग्राम पंचायत जगधर जनपद पंचायत सिरोंज द्वारा प्रस्ताव/ठहराव क्र.18 दिनांक 18.04.2022 प्रस्तुत कर उक्त भूमि वांछित प्रयोजन हेतु उक्त भूमि दिये जाने में कोई आपत्ति न होना उल्लेखित किया गया है। तदनुसार कार्यवाही कर अतिरिक्त तहसीलदार सिरोंज द्वारा वृक्षारोपण हेतु उक्त भूमि आवंटित किये जाने हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज को प्रेषित किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी, सिरोंज द्वारा नायब तहसीलदार मं.4 सिरोंज से प्राप्त प्रकरण पर प्र.क्र.0004/अ-20(3)/2022-23 पंजीवद्ध कर नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होकर ग्राम जगधर स्थित भूमि सर्वे क्र. 69/1/15 रकबा 10.448 है. नोईयत चरनोई में से 8.27 है. भूमि वन विभाग को आवंटन किये जाने की अनुशंसा कर प्रकरण इस न्यायालय को उपलब्ध कराया गया।

जिला नजूल निर्वर्तन समिति, प्रभारी अधिकारी जिला नजूल शाखा विदिशा द्वारा कार्यवाही विवरण क्र. 2078/क्यू-8/भू-अभि./नजूल/2022 बैठक दिनांक 29/08/2022 अनुसार समिति द्वारा ग्राम जगधर स्थित भूमि सर्वे क्र. 69/1/15 रकबा 10.448 है. नोईयत चरनोई में से 8.27 है. भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को म.प्र. नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 में तहत हस्तांतरण/आवंटन किया जाना उल्लेखित कर प्रकरण इस न्यायालय उपलब्ध कराया गया।

नायब तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी सिरोंज/प्रभारी अधिकारी जिला नजूल शाखा विदिशा के प्रतिवेदन/प्रकरण के आधार पर ग्राम जगधर स्थित भूमि सर्वे क्र. 69/1/15 रकबा 10.448 है. नोईयत चरनोई में से 8.27 है. भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु म.प्र. भू-राजस्व संहिता-1959 के तहत नोईयत परिवर्तन कर राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-4 क्र.1 की कण्डिका-36 एवं म.प्र.शासन,राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्रादेश क्र. एफ 6-7/2013/सात/2 वी दिनांक 13.02.2013 एवं म.प्र.राजपत्र (असाधारण) राजस्व विभाग भोपाल क्र. एफ 6-75-2019-सात-शा.3 दिनांक 24 सितम्बर 2020 के तहत वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है। आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि की जावे।


11/11/2022
(उमाशंकर भार्गव)
कलेक्टर
जिला-विदिशा

विदिशा दिनांक 14/11/2022

पृ.क्र./क्यू/रीडर/2022/
प्रतिलिपि :-

13129

01. सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल।
02. प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.भोपाल।
03. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. वन मंडलाधिकारी सामान्य वन मण्डल, विदिशा।
05. उपखण्ड अधिकारी सिरोंज।
06. कार्यपालन, यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग विदिशा।
07. तहसीलदार, सिरोंज।
- की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।


11/11/2022
कलेक्टर
जिला-विदिशा (म.प्र.)

9

16/11/22